

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान**  
(जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर, दूरभाष एवं फैक्स नं.-0141-2222403)  
dlbrajasthan@gmail.com / dlbdda05@gmail.com

क्र मांक : प.1(ग) (7)का/एसएमई/डीएलबी/18/4360

दिनांक : 01/05/18

--: आदेश :-

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 336 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधीनस्थ एवं फायरमैन संवर्ग के निम्नांकित कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार किये जाते हैं:-

क्र.स.	नाम कार्मिक	पदनाम	कहां से	कहां को
1	श्री जितेन्द्र कुमार गर्ग	कार्यालय सहायक	वैर	आदेशों की प्रतिक्षा निदेशालय
2	श्री सरजू	लिपिक ग्रेड-1A	भरतपुर	कुम्हेर
3	श्री अशोक कुमार धाकड़	लिपिक ग्रेड-1A	भरतपुर	वैर
4	श्री राजेन्द्र प्रसाद	फायरमैन	नदबई	वैर
5	श्री दीपक पुत्र श्री प्रेमचन्द	सफाई कर्मचारी	नावा	कुद्यामनसिटी
6	श्री चौधमल	सफाई कर्मचारी	अंता	छबडा
7	श्री रमेशचन्द	सफाई कर्मचारी	नगर	डीग
8	श्री शिव कुमार	सफाई कर्मचारी	कैथून	कोटा
9	श्री महेन्द्र कुमार	सफाई कर्मचारी	कैथून	कोटा
10	श्री गणेश प्रसाद	सफाई कर्मचारी	अंता	वांरा
11	श्री सुदेश कुमार	सफाई कर्मचारी	बून्दी	कोटा

विभागीय आदेश 1145-1152 दिनांक 01.09.2017 के द्वारा श्रीमती सीमा शर्मा, कनिष्ठ लिपिक, नगर परिषद दौसा को आदेशों की प्रतीक्षा निदेशालय में किये गये आदेश को तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

उक्त कर्मचारियों को तुरन्त पदस्थापित स्थान के लिए कार्यमुक्त कर शिघ्र विभाग को अवगत करावे।

नोट:-

5. स्थानान्तरित कर्मचारियों के पदनाम में कोई परिवर्तन हो तो तुरन्त विभाग को अवगत करावे अन्यथा व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।
6. स्थानान्तरित कर्मचारियों का सेवाभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त ही इन्हे वेतन का भुगतान किया जावे।
7. यदि कोई कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी/सविदा पर नियुक्त हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे एवं कार्यमुक्त नहीं किया जाकर विभाग को अवगत करावे।

R

8. यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त/किसी अन्य कारणों से सेवा से पृथक हो गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे।

(पवन अरोड़ा)  
निदेशक एवं संयुक्त  
शासन सचिव

क्रमांक:- प.1(ग)( )का/एसएमई/डीएलबी/18/4361-4406 दिनांक : 21/5/18  
प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, स्वा.शा.वि., राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वा.शा.वि., राज. जयपुर।
3. महापौर/सभापति/अध्यक्ष/आयुक्त/अधिशायी  
अधिकारी/नगरपरिषद/पालिक/कुम्हेर/वैर/कुचामनसिटी/छबडा/कैथून/नावा/अता  
/बून्दी/नदवई/भरतपुर/
4. उपनिदेशक(क्षेत्रिय) स्थानीय निकाय विभाग बीकानेर/अजमेर/कोटा/जोधपुर  
/उदयपुर/भरतपुर।
5. संबंधित कर्मचारी
6. सुरक्षित पत्रावली।

(डॉ वीरेन्द्र सिंह)  
उप निदेशक (प्रशासन)